कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट, (अल्मोड़ा)

दूरभाष संख्या 05966–211126 e.mail : eepmgsysalt@rediffmail.com

पत्रांक 395 / 19 सी दिनांक 7- 5-.2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

विषय :– देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या 13914/2015) पर लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक मेमो/12–1 दिनांक 09.02.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है :–

Sl. No.	Objection	Remark
1	In part-I A3 the application is filled by Sh. Jiwan Chandra Rautola but the authority letter is uploaded in the name of sh. Nand Kishor Khulbe. Authority letter in the name of person filling the application may be uploaded.	New authority letter is online uploaded & hard copy attached.
2	FRA certificate and district level committee proceeding not uploaded online. FRA certificate provided in hard copy is undated.	FRA certificate online uploaded & hard copy attached.
3	Employement detail not provided online Part-I E.	Employement detailonline provided Part-I E.
4	KML file of CA area uploaded in part-I is showing comparatively very large area perhaps of the land bank, may provide the same for the area proposed for CA against this proposal within the land bank.	New KML file online uploaded. Area of CA (2 x 3.844= 7.688 Hect.) .
5	Digital map of CA area uploaded in Part-I is showing comparatively very large area perhaps of the land bank, may provide the same for the area proposed for CA against this proposal within the land bank showing Geo coordinates at all corners and providing a shape file.	New digital map of CA uploaded in Part-I & the land bank showing Geo Coordinate at all corner.
6	CA scheme provided for 3.84 hect area which is equalent to the area proposed for diversion but it is not mentioned whether this is not forest land or degraded forest land/civil soyam. May indicated the legal status of the area and in the case it happens to be either degraded forest land or civil land than CA scheme for the doble arear proposed for diversion may be submitted.	CA area in civil soyam & area for CA is double online uploaded & hard copy attached.

7	Administrative approvel uploaded is issued during 2006 may indicate whether it is stil valid in condition the length of road approved is 7 km where in the proposal the land of road show as 13.650 km.	New administrative approvel uploaded. It is show length of road 13.650 km approved letter attached.
8	The muck disposal plan the quantity of muck proposed to be disposed in the dumping yard is 51597.00 cum where as the capacity of 19 dumping yards selected on the private land is only 29690.00 cum.	New muck disposal plan uploaded & hard copy attached.
9	The NOC of land owner, for dumping muck on their private land is not provided/uploaded.	The NOC of land owner, for dumping muck on their private land is uploaded & hard copy attached.
10	Land schedule uploaded is not complete as it show only 0.08 hect of R.F. land may upload compelte land schedule.	Land schedule uploaded online. It is show total area of proposal land. hard copy attached.
11	Form-A part-I to part V duly filles & signed by concerned officer has not been provided in the hard copy.	Form-A attached.

संलग्न :— हार्डकापी

10/5/2010

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

पत्रांक / तद्दिनांक

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता प्रथम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
दूरभाष : 05962-230065, फैक्स 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 5878 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 11-05 2016

सेवा में,

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा

विषय देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग (प्रस्ताव सं0 13914/2015)पर लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के संबन्ध में

संन्दर्भ आपका पत्रांक 2883/12–1 दिनांक 07–02–2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में लगाई गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत प्रेषित है। प्रकरण की हार्ड कापी इस कार्यालय की पत्र संख्या 5419/12–1(2) दिनांक 25.04.2016 से आपको पूर्व में भेजी जा चुकी है।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	In part I A3 the application is filed by Shri Jiwan Chandra Tamela but the authority letter is uploaded in the name of Shri Nand Kumar Khulbe. Authority letter in the name of person filing the application may be uploaded.	New authority letter is online uploaded & hard copy attached.
2	FRA certificate and District level Committee proceeding not uploaded online.FRA certificate provided in hard copy is undated.	FRA certificate online uploaded & hard copy attached.
3	Employment detail not provided online part I E	Employement detailonline provided Part-I E.
4	KML file of CA area uploaded in part I is showing comparatively very larg area perhaps of the land bank. May provided the same for the area proposed for CA against this proposal within the land bank.	New KML file online uploaded. Area of CA (2 x 3.844= 7.688 Hect.)
5	Digital Map of CA area uploaded in part I is showing comparatively very larg area perhaps of the land bank. May provided the same for the area proposed for CA against this proposal within the land bank showing geo coordinates at all corner and providing a shape file	New digital map of CA uploaded in Part-I & the land bank showing Geo Coordinate at all corner.
6	CA Scheme provided for 3.84 ha area which is equivalent to the area propsed for diversion but it is not mentioned wheter this area is non forest land or degraded forest land/civil soyam.May indicate the legal status of this area and in case it happens to be either degraded forest land or civil land then CA scheme for double the area propose for divesion may be submitted.	CA area in civil soyam & area for CA is double.
7	Administrative approval uploaded is issued during 2006. May indicate whether it is still valid.In addition the length of road approved is 7 km. whereas in the proposal the length of road is shown as 13.650km.	New administrative approvel uploaded. It is show length of road 13.650 Km approved letter attached.
8	The muck disposal plan the quantity of muck proposed to be disposed in the dumping year is 51597.0 cum whereas the capacity of 19 dumping yards selected on private land is only 29690.00 cum.	New muck disposal plan uploaded & hard copy attached.
9	The NOC of land owners for dumping muck on their provate land is not provided/uploaded.	The NOC of land owner for dumping muck on their private land is uploaded & hard copy attached.
10	Land schedule uploaded is not complete as it shows only 0.08 ha of RF land.May upload complete land schedule.	Land schedule uploaded online. It is show total area of proposal land. hard copy attached.
11	Form A part I to part V dully filled and signed by concerned officer has not been provided in the hard copy	Part 1 & 2 attaching

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Point No. 1

प्रारुप–1

Mr. Chandan Choudhary S/O Sh. Nand Ram is hereby authorised to upload the Land Transfer Proposal regarding Deghat-Lalnagari Motor Road of the C.D.P.W.D. SALT (Almora). on the Goverment of India portal **www.forestclearance.nic.in** on behalf of the Executive Engineer C.D.P.W.D. SALT (Almora)

(head of the Instituion name /designation).

7/4/16

(J.C.Pantola)
Executive Engineer
C.D.P.W.D. SALT (Almora)

Point No.2

(1-6)

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने है।)

FORM-1

(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector - Almora

No---

Dated--15/4/15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 which MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.844 hectares** of forest proposed to be diverted in favour of Rural Development Department Uttarakhand / Executive Engineer PMGSY Division, P.W.D. Salt (Almora) (name of user agency) for **Construction of Deghat-Lalnagari** M... **Road** (purpose for diversion of forest land) in **Almora** district falls within jurisdiction of **Lalnagari** village **Syaldey** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the ... has been carried out for the entire **3.844** hectares of forest area proposed for diversion. A... records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as an... ....to...annexure....

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as re... under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given consent to it;

(c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups ... Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Coll...

D:\Forest\ONLINE FOREST PROPOSAL\FORM 30 Forest land Deghat-Lalnagari.docx

1-6

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT - ALMORA (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Almora** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S., deputy commissioner, Almora on dated 15.04.15 at time 3:50 PM at .... in which application claiming rights in Jourashi range / area measuring **3.844 Hec.** for the **Construction of Deghat Lalnagari Motor Road** (13.65 Km) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Salt** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...Almora

Dated:......15/4/15

15.04.15

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committee

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

जिला समाज कल्याण अधिकारी
अल्मोड़ा

प्रधानमंत्री गाम सड़क योजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत लालनगरी को संयोजित करने हेतु प्रस्तावित समरेखन की संयुक्त निरीक्षण टिप्पणी।

प्रधानमंत्री गाम सडक योजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत लालनगरी को संयोजित करने हेतु प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखन का दिनांक 10/01/2015 संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में अधोहस्ताक्षरी के साथ निम्न अधिकारी / कर्मचारी / जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

1. श्री **नारायण**सिंह नबियाल — उपजिलाधिकारी स्याल्दे।

2. श्री [illegible] — तहसीलदार स्याल्दे

3. श्री [illegible] — राजस्व निरीक्षक।

4. श्री आर0पी0 पाण्डेय सहायकं अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट।

5. श्री नवीन चन्द्र टम्टा अपर सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट।

6. श्री मती नन्दीदेवी — ग्राम प्रधान

उक्त उपस्थित अधिकारियों / विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों एवं ग्रामीणों के साथ ग्राम लालनगरी को संयोजित किये जाने हेतु प्रस्तावित **देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग** का संयुक्त निरीक्षण किया गया। विभाग द्वारा इस स्थल के अतिरिक्त अन्य समरेखन तकनीकी एवं व्यवहारिक रुप से अनुपयुक्त हो कहा गया। निरीक्षण स्थल पर लगभग 13 **काश्तकारों** की कुल लगभग 0.876है0 भूमि श्रेणी 1 (क) संक्रमणी अधिकार की आ रही है। काश्तकारों से जानकारी लेने पर काश्तकारो व उनके परिवार द्वारा अपनी उक्त भूमि सडक निर्माण हेतु विभाग को देने की सहमति प्रदान की है। इस समरेखन के अतिरिक्त पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत **लालनगरी** गांव को लाभ मिलेगा। संयुक्त टीम द्वारा यह समरेखन उपयुक्त पाया गया।

उप जिलाधिकारी स्याल्दे
उप जिला मजिस्ट्रेट
स्याल्दे
जनपद अल्मोड़ा

कार्यालय उप मजिस्ट्रेट स्याल्दे

पत्र संख्या / दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय अल्मोडा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट को सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिला मजिस्ट्रेट
स्याल्दे
जनपद

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग का नव निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:– लालनगरी तहसील स्याल्दे

जिला अल्मोड़ा।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोड़ा उत्तराखण्ड में देघाट–चिन्तोली मोटर मार्ग के निर्माण [illegible] 3.844 है0 भूमि निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं [illegible] मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में लालनगरी में दिनांक 08-01-2[illegible] को सम[illegible] ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्[illegible] अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2[illegible] के प्राविधान के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/[illegible] का कार्य नही है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि मे किसी [illegible] आदिवासी/गैरआदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो [illegible] है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्माण किया गया [illegible] प्रस्ताव पारित किया गया है कि ग्राम लालनगरी के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि लो0नि0वि0 स[illegible] प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने का कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सरपंच
वन पंचायत बौहरागाँव
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मो[illegible])

सरपंच
लठ्ठ वन पंचायत ला[illegible]
वि0 ख0 स्याल्दे ([illegible])

प्रधान

सरपंच
लठ्ठ वन पंचायत लालनगरी
वि0 ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

H:\CERTIFICATE\Deghat-lalnagari.doc

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग का नव निर्माण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी स्याल्दे

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड स्याल्दे परिक्षेत्र के अन्तर्गत **3.844 है0** वन भूमि का, निर्माण खंण्ड लो0नि0वि0 सल्ट (अल्मोडा) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति तहसील स्याल्दे को दिनांक 16.01.2015 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री नारायण सिंह नबियाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1. श्री नारायण सिंह नबियाल	उपजिलाधिकारी स्याल्दे।
2. श्री बी० के० राई	उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत।
3. श्री दलीप सिंह बिष्ट	सहायक समाज कल्याण अधिकारी स्याल्दे।
4. श्री चन्दराम	बी0सी0सी0 क्षेत्र लालनगरी सदस्य।

उप जिलाधिकारी स्याल्दे जनपद अल्मोड़ा

सदस्य क्षेत्र पंचायत लालनगरी वि0ख0 स्याल्दे (अल्मोड़ा)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि जनपद

अल्मोड़ा में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के अन्तर्गत **देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग** परियोजना का **3.844 है0** वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया है। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियत 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड स्याल्दे........परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत **देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु 3.844 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी
स्याल्दे

प्रतिलपि जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Point No-3&4

संयुक्त निरीक्षण आख्या

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड सल्ट में देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक ....8/3/2016.. को प्रश्नगत परियोजना के सिविल भूमि **झड़गाव** का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग के श्री ...कौस्तुभ नन्द डंगवाल... वन दरोगा, राजस्व विभाग की ओर से श्री ...सुरेन्द्र सिंह नेगी लेखपाल एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री रवि शंकर मौर्या कनिष्ठ अभियन्ता व श्री प्रेमपाल सिंह अमीन द्वारा भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त परियोजना हेतु सिविल भूमि झड़गाव में **कुल क्षेत्रफल 7.688 है0** कृषि योग्य बंजर भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त पायी गई है।

Ravi JE

उप जिलाधिकारी
जिला-अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

वन क्षेत्राधिकारी
मौरनौला वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
रानीखेत, अल्मोड़ा वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

करार

विभाग का नाम :— निर्माण खण्ड , लो0नि0वि0 सल्ट (अल्मोड़ा)

क्र0सं0	परियोजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	प्रभावित / क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल है0	सैद्धान्तिक स्वीकृति की तिथि	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि का विवरण			राजस्व ग्राम / पटवारी क्षेत्र / तहसील	वन विभाग की टिप्पणी
					खाता संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल है0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे में देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।	2006 / 2010	2x3.844 है0	—	20	430	0.155	झडगांव / क्षेत्र तल्ला सल्ट / तहसील सल्ट (अल्मोड़ा)	राजस्व एवं कार्यदायी विभाग के साथ दिनांक 5/3/2016 को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया। वृक्षारोपण हेतु संबंधित भूमि उपयुक्त एवं उपलब्ध क्षेत्र वृक्षविहीन है। अतः चिन्हित भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर भूमि के अमल दरामद करने की संस्तुति की जाती है।
						431	0.456		
						432	0.877		
						2321	0.434		
						2323	1.813		
						2325	1.780		
						414मध्य	2.173		
					योग	7	7.688		

Rai J.E

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

वन क्षेत्राधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग

D:\M A Ansari\FOREST\ONLINE FOREST PROPOSAL\CA, FRA

भूमिधर होने का प्रमाण पत्र

मौका खसरा–ग्राम झडगांव क्षेत्र तल्ला सल्ट तहसील सल्ट (अल्मोड़ा)

विषय :–ग्राम झडगांव क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ब्यौरा।

काश्तकार का नाम	क्षतिपूरक भूमि के खेत नम्बर	क्षेत्रफल	खाता संख्या	किस्म भूमि	तोक का नाम
1	2	3	4	5	6
कृषि योग्य बंजर भूमि	430	0.155	20	गैर जमींदारी श्रेणी 9 (3) ड कृषि योग्य बंजर भूमि	क्षतिपूरक भूमि झडगांव में कृषि योग्य बंजर भूमि है जहाँ वृक्ष नही है।
	431	0.456			
	432	0.877			
	2321	0.434			
	2323	1.813			
	2325	1.780			
	414मध्य	2.173		गैर जमींदारी श्रेणी 10 (4) अकृषिक बंजर भूमि	
योग	7	7.688			

महोदय,

ग्राम उपरसड़ी [झड़गांव] के गैर जमीदारी खाता संख्या 20 के खेत संख्या 430–0.155 है0, 431–0.456 2321–0.434 है0, 2323–1.813है0, 2325–1.780 तथा 414 मध्य 2.173 है0 कुल खेत 7 क्षेत्रफल 7.688है0 कृषि है, राज्य सरकार की है। राज्य सरकार की भूमि पर वृक्षारोपण किया जा सकता है।

Ravi J.E

वन क्षेत्राधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
सल्ट (अल्मोड़ा)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
सल्ट (अल्मोड़ा)

D:\M A Ansari\FOREST\ONLINE FOREST PROPOSAL\CA, FRA

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

डिजिटल मैप– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लाल नगरी मोटर मार्ग का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल झड़गॉव (क्षेत्रफल–7.688 है0)

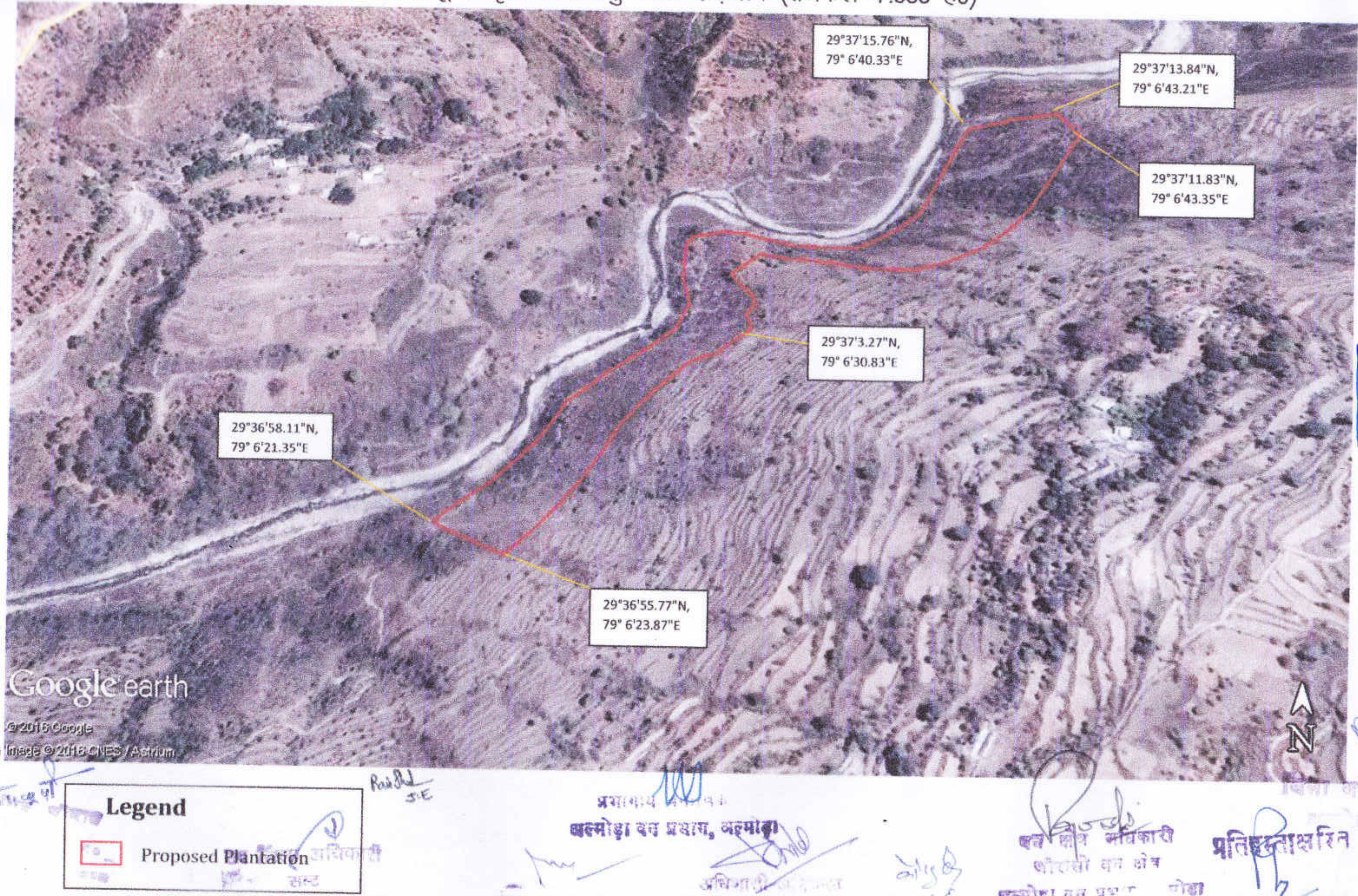

अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
रानीखेत, अल्मोड़ा वन प्रभाग

Point No. 6

डिजिटल मैप–प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लाल नगरी मोटर मार्ग का क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल झड़गॉव।

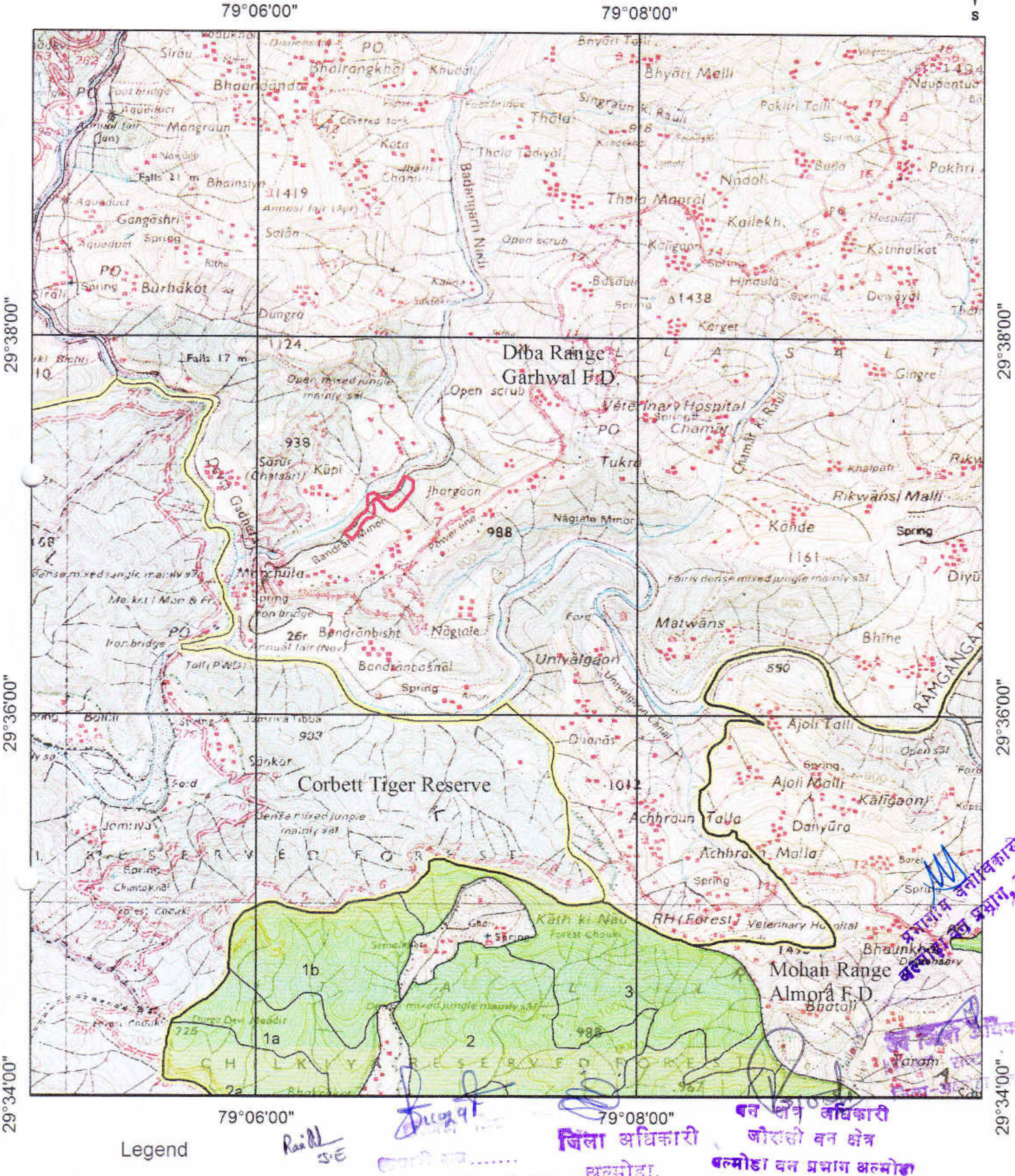

Legend

- Proposed_Plantation
- Reserve Forest Boundary
- Reserve Forest Area
- Range_Boundary
- Division_Boundary
- Corbett Tiger Reserve

ScaleBar

0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

Km

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा।

वन क्षेत्राधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
सल्ट (अल्मोड़ा)

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का माहुल प्राक्कलन

परियोजना का नामः– जनपद अल्मोडा में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत देद्याट से लालनगरी मोटर मार्ग का निर्माण।

वृक्षारोपण स्थल का नाम– झडगांव

क्षेत्रफल कुल वनभूमि = 13.798 है0

रोपित किये जाने वाले वृक्षो की संख्या – 7.688X1100=8456.80 nos. L.S.=8500

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	7.688	प्रति है0	97.00	745.74
2	क्षेत्रफल की सुफाई (झाडी कटान आदि)	7.688	प्रति है0	584.00	4489.79
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिग) 252 मी0 तक पत्थर ढुलान सहित	1512.00	प्रति घन मी0	315.00	476280.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चाचाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियान्त्रिक कार्यों हेतु प्रविधान				
	1 पत्थरों के चैकडेम	33	प्रति चैकडेम	9500.00	313500.00
	2 वाटर हार्वेस्टिंग टैंक	18	प्रति स0	3000.00	54000.00
5	गड्ढा खुदान	8500	प्रति गड्ढा	7.33	62305.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना	7.688	प्रति है0	485.00	3728.68
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	8500	प्रति पौध	5.89	50065.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र संयंत्र औजार तेज करना अन्य कार्यो पर व्यय	7.688		300.00	2306.40
9	अन्य कार्य	7.688	L.s.		2000.00
	योगः– प्रथम चरण				**969420.61**
	द्वितीय चरण				
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30 × 0.30 × 0.45)	8500	प्रति पौध	1.15	9775.00
2	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	8500	प्रति पौध	1.15	9775.00
3	पौध ढुलान कार्य	8500	प्रति पौध	6.39	54315.00
4	पौधरोपण व थावलाबन्दी	8500	प्रति पौध	2.06	17510.00
5	निराई गुडाई व मल्चिंग (दो बार)	8500	प्रति पौध	0.76	6460.00
6	खाद व दवा पर व्यय	8500		0.21	1785.00
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव पर व्यय	7.688	प्रति है0	4768.00	36656.38
8	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत				
	8.1 सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों का काटना हटाना	7.688	प्रति है0	350.00	2690.80
	8.2 सुरक्षा दीवाल / घेरबाढ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	7.688	प्रति है0	225.00	1729.80
	में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना				
	अ. प्रशिक्षण	7.688	प्रति है0	400.00	3075.20
	ब. प्रोत्साहन	7.688	प्रति है0	200.00	1537.60
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड, पोधे ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय ,फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्यो का प्रचार–प्रसार एवं डाक्यूमेंटेशन आदि कार्य	15.00	प्रति है0	700.00	10500.00
10	अन्य कार्य	7.688	L.s.		2000.00
	योगः– द्वितीय चरण				**157809.78**
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण				**1127230.39**
	तृतीय चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	7.688	प्रति है0	7152.00	54984.58
2	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत				
	2.1 सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थ को काटना हटाना	7.688		350.00	2690.80
	2.2 सुरक्षा दीवाल / घेरबाढ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	7.688		225.00	1729.80
	में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना				0.00
	अ. प्रशिक्षण	7.688	प्रति है0	310.00	2383.28
	ब. प्रोत्साहन	7.688	प्रति है0	200.00	1537.60
3	अन्य कार्य	7.688	L.s.		2000.00
	योग – तृतीय चरण				**65326.06**

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

चतुर्थ चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	7.688		7152.00	54984.58
2	अन्य कार्य				
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	7.688		310.00	2383.28
	(2) अन्य कार्य	7.688	L.s.		2000.00
	योग – चतुर्थ चरण				59367.86
पंचम् चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	7.688		7152.00	54984.58
2	अन्य कार्य				
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	7.688		310.00	2383.28
	(2) अन्य कार्य	7.688	L.s.		2000.00
	योग – पंचम् चरण				59367.86
षष्टम् चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	7.688		7152.00	54984.58
2	अन्य कार्य				
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	7.688		310.00	2383.28
	(2) अन्य कार्य	7.688	L.s.		2000.00
	योग -- षष्टम् चरण				59367.86
सप्तम् चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	7.688		7152.00	54984.58
2	अन्य कार्य				
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	7.688		310.00	2383.28
	(2) अन्य कार्य	7.688	L.s.		2000.00
	योग – सप्तम् चरण				59367.86
अष्टम् चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	7.688		7152.00	54984.58
2	अन्य कार्य				
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	7.688		310.00	2383.28
	(2) अन्य कार्य	7.688	L.s.		2000.00
	योग – अष्टम् चरण				59367.86
नवम् चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	7.688		7152.00	54984.58
2	अन्य कार्य				
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	7.688		310.00	2383.28
	(2) अन्य कार्य	7.688	L.s.		2000.00
	योग – नवम् चरण				59367.86
दशम् चरण					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	7.688		7152.00	54984.58
2	अन्य कार्य				
	(1) अग्नि सुरक्षा कार्य	7.688		310.00	2383.28
	(2) अन्य कार्य	7.688	L.s.		2000.00
	योग – दशम् चरण				59367.86
				योग रू0	1608131.44

प्रति है0 अनुमन्य दर रू0

अनुमन्य दर पर कुल धनराशि

प्राक्कलानुसार 1608131.44

अथवा रू0 1608131.00

J.E

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
सल्ट (अल्मोड़ा)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

वन क्षेत्राधिकारी
जौरासी

प्रतिहस्ताक्षरित

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
रानीखेत, अल्मोड़ा वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

परियोजना का नाम :— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे में देघाट—लालनगरी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण—पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित झड़गांव गांव के पास कोई स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

J.E

A.E

तहसीलदार स्याल्दे
जिला - अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

उप जिलाधिकारी स्याल्दे
जनपद - अल्मोड़ा

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र खल्डुवा
तहसील स्याल्दे

वन क्षेत्राधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

अनुभाग अधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र (अल्मोड़ा)

प्रतिहस्ताक्षरित

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
रानीखेत ... वन प्रभाग

G:\Forest\ONLINE FOREST PROPOSAL\CERTIFICATE CA.doc

Point No. 7

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट, (अल्मोड़ा)

दूरभाष संख्या 05966–211126 e.mail : eepmgsysalt@rediffmail.com

पत्रांक 320 /19 नि दिनांक 7.04.2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

विषयः– देघाट–लालनगरी मोटर मार्ग (प्रस्ताव संख्या 13914/2015) में लगाई गई आपत्ति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक मेमो/12–1 दिनांक 09.02.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में उक्त मोटर मार्ग में वन संरक्षक उत्तरी कुमायूँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा क्रमांक 7 में अंकित आपत्ति के बारे में अवगत कराना है कि वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराचंल शासन देहरादून के शासनादेश संख्या 910/पी01–18/यू0आर0आर0डी0ए0/05 दिनांक 21.06.2006 के अनुसार मार्ग की लम्बाई 7.00 किमी0 थी। लेकिन वास्तविक सर्वेक्षण करने पर यह लम्बाई 13.650 किमी0 आ रही थी, तथा इस हेतु वन एवं ग्राम्य विकास शाखा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रांक 1510/पी01–19/यू0आर0आर0डी0ए0/10 दिनांक 05.10.2010 तथा भारत सरकार के पत्रांक संख्या पी 17024/27/2010–आर0सी0 दिनांक 10.09.2010 के द्वारा पूर्व में ही 13.650 किमी0 लम्बाई स्वीकृत की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

7/4/16

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
सल्ट (अल्मोड़ा)

Distroy in .... फ़ै.सं.
D. No. 2108
F. No. 10M4/10M4
Date of Receipt 25/11/2010

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

संख्याः 1510 / पी01–19 / यू.आर.आर.डी.ए. / 10 दिनांकः 5 ~~सितम्बर~~, 2010 अक्टूबर

कार्यालय ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–VIII के अन्तर्गत ग्रामीण असंयोजित बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गो से संयोजित करने हेतु 100 मार्गो, लम्बाई 981.27 किमी0 एवं 26 सेतुओं, कुल 126 कार्य, कुल पैकेज 123 तथा लागत रू0 339.04 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के पत्र सं0 पी.17024 / 27 / 2010–आर.सी. दिनांक 10 सितम्बर, 2010 के द्वारा जारी की गयी है। फेज–VIII के मार्गो के 05 वर्षो के अनुरक्षण एवं रखरखाव पर होने वाला व्यय रू0 32.11 करोड़, शासनादेश सं0 2078 / आई1–01 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / 03 दिनांक 17 दिसम्बर 2003 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में फेज–VIII के मार्गो एवं सेतुओं के निर्माण हेतु रू0 339.04 करोड तथा 05 वर्षो के अनुरक्षण हेतु रू0 32.11 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यवार परिशिष्ट–'क' के अनुसार प्रदत्त की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

श्री रावत / शीघ्र

(डा0 राकेश कुमार)
सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गढ़वाल क्षेत्र, पौड़ी एवं कुमाऊ क्षेत्र, अल्मोड़ा।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 / ए0डी0बी0 वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), उत्तराखण्ड।

संलग्नकः यथोपरि।

सचिव,
ग्राम्य विकास विभाग

पत्रांक 12425 / 07 भा0नि0- कु0 / 2010 दिनांक 19 / 10 / 2010

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, निर्माण / सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0, सल्ट / अल्मोड़ा / बागेश्वर / नैनीताल / चम्पावत / पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

Phase-VIII (2008-09)

S. No.	Districts	Package No.	Name of the Road	Length (Km)	Value (Rs. in Lakh)	Maintenance Cost for five years (Rs. in Lakh)					
						I Year	II Year	III Year	IV Year	V Year	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Almora	UT-01-01	Khira (Khaira) to Khajaurani Motor Road	23.90	892.83	8.83	9.71	11.46	11.48	13.37	54.85
2		UT-01-02	Sera Gad (Ghat) to Kunj Kimola Motor Road	31.20	1151.40	11.53	12.68	14.96	14.98	17.45	71.60
3		UT-01-03	Army Gate to Raulakot (Railakot) Motor Road	6.70	236.60	2.48	2.72	3.21	3.22	3.74	15.37
4		UT-01-04	Supaikhan to Baman Tilari Motor Road	11.73	383.64	4.33	4.76	5.62	5.63	6.56	26.90
5		UT-01-05	Bhagadevaloe to Mergaaw Motor Road	6.90	226.93	2.55	2.80	3.31	3.31	3.86	15.83
6		UT-01-06	Manthagar to Bantho (Baanthok) Motor Road	17.40	508.72	6.43	7.07	8.34	8.36	9.73	39.93
7		UT-01-07	Rathkhan to Chammu Motor Road	2.77	91.56	1.02	1.13	1.33	1.33	1.55	6.36
8		UT-01-08	Kusal (Kushal) Bend to Jhaldngra (Jhaldungra) Motor Road	3.69	64.18	1.36	1.50	1.77	1.77	2.07	8.47
9		UT-01-09	Petsal to Dungari Motor Road	6.84	161.22	2.53	2.78	3.28	3.29	3.83	15.71
10		UT-01-10	Daniya to Ara-Salphar Motor Road, Stage-II	30.66	733.22	11.45	12.60	26.37	14.89	30.77	96.08
11		UT-01-11	Arti (Hanuman Mandir) to Rangori-Galli Motor Road	8.48	263.62	3.12	3.43	4.05	4.06	4.72	19.38
12		UT-01-12	Pathli Bagh to Barson (Barseemi) Motor Road	9.55	282.46	3.53	3.88	4.58	4.59	5.34	21.92
13		UT-01-14	Janit (Janti) to Naya Sangroli Motor Road	7.08	203.21	2.61	2.88	3.39	3.40	3.96	16.24
14		UT-01-15	Malkhal (Merdhura) to Satya Motor Road	3.75	90.16	1.38	1.52	1.79	1.80	2.09	8.58
15		UT-01-16	Jal (Kotalgarh) to Lakhnari Motor Road	7.13	241.41	2.63	2.90	3.42	3.42	3.99	16.36
16		UT-01-17	Jhibola ot Baur Malla Motor Road	3.08	90.88	1.14	1.25	1.47	1.48	1.72	7.06
17		UT-01-18	Paisha to Garkot Malla Motor Road	9.28	315.88	3.43	3.77	4.45	4.46	5.19	21.30
18		UT-01-19	Jaurasi to Jaikhal Motor Road	15.60	459.01	5.76	6.34	7.48	7.49	8.73	35.80
19		UT-01-20	Deghat to Lalnagari Motor Road	13.65	384.96	5.04	5.55	6.54	6.56	7.63	31.32

उप मुख्य कार्यकारी एवं
अधीक्षण अभियन्ता

Secretary,
Rural Development